परिपत्र सं. 110/29/2019-जीएसटी

मिसिल सं. सीबीईसी-20/06/2019-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(जीएसटी पॉलिसी विंग)

****

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/

आयुक्त केन्द्रीय कर (सभी)

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

<u>विषय: फार्म जीएसटी आरएफडी-01 में एक अवधि के लिए प्रतिदाय (रिफंड) के आवेदन के लिए योग्यता एवं वह श्रेणी जिसके तहत शून्य प्रतिदाय (रिफंड) आवेदन पहले ही दाखिल किया जा चुका है के संबंध में :-</u>

कई पंजीकृत व्यक्तियों ने अनजाने में फार्म जीएसटी आरएफडी 01ए/आरएफडी-01 में कामन पोर्टल पर एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक निश्चित अवधि के लिए असावधनीपूर्वक 'शून्य' **प्रतिदाय (रिफंड)** का दावा किया है जबकि कथित श्रेणी के तहत उस अवधि के लिए उनका वास्तविक प्रतिदाय दावा है। एक बार शून्य **प्रतिदाय (रिफंड)** का दावा कर दिये जाने पर कामन पोर्टल पंजीकृत व्यक्ति को कथित श्रेणी के तहत उस अवधि के लिए पुन: प्रतिदाय का दावा करने की अनुमति नहीं देता है । ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि जहां किसी विशेष श्रेणी के तहत, किसी विशेष अवधि के लिए असावधानीपूर्वक शून्य प्रतिदाय का दावा कर दिया गया है वहां पंजीकृत व्यक्तियों को पुन: प्रतिदाय का दावा करने की अनुमति प्रदान की जाए। मामले की जांच की गई और इस मुद्दे को स्पष्ट करने और संपूर्ण क्षेत्रीय संरचना के कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168(1) के तहत अपनी प्रदत्ता शक्तियों (यहां सीजीएसटी अधिनियम कहा गया है) का प्रयोग करते हुए उठाए गए मामलों को इस प्रकार स्पष्ट किया है ।

2. जब भी कोई पंजीकृत व्यक्ति कामन पोर्टल पर किसी विशेष अवधि के लिए एक श्रेणी के तहत फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए/आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए दावा करता है, तब सिस्टम में एक मैसेज बाक्स प्रकट होता है और पूछता है कि क्या वह चयनित अवधि के लिए 'शून्य' प्रतिदाय के लिए आवेदन करने का इच्छुक है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी विशेष श्रेणी के तहत किए जाने वाले सभी प्रतिदाय आवेदन कालानुक्रमिक रूप से दाखिल किए जाएं। हालांकि कुछ पंजीकृत व्यक्तियों ने असावधानीपूर्वक शून्य प्रतिदाय दाखिल करने का विकल्प चुना हे। एक बार किसी विशेष श्रेणी के तहत किसी अवधि के लिए 'शून्य' प्रतिदाय का दावा किए जाने पर, कामन पोर्टल पंजीकृत व्यक्ति को कथित श्रेणी के तहत उसी अवधि के लिए पुन: प्रतिदाय का दावा करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है।

3. अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने किसी विशेष श्रेणी में कथित अवधि के लिए फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए/आरएफडी-01 में 'शून्य' प्रतिदाय का दावा दायर किया, तब ऐसी स्थिति में वह पुन: उसी श्रेणी में कथित अवधि के लिए **(रिफंड)** प्रतिदाय के लिए फिर दावा कर सकता है, यदि वह निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता है:-

क) पंजीकृत व्यक्ति ने फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए/आरएफडी-01 में किसी विशेष श्रेणी के तहत एक निश्चित अवधि के लिए 'शून्य' प्रतिदाय का दावा किया हो; और
ख) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसी श्रेणी के तहत किसी भी आगामी अवधि के लिए फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए/आरएफडी-01 में कोई भी प्रतिदाय के लिए दावे न किए गए हों।

इस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आने वाले प्रतिदाय दावों पर शर्त (ख) लागू होंगी:-

i) कर का भुगतान किए बिना निर्यात पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धनवापसी;
ii) कर का भुगतान किए बिना एसईजेड यूनिट/एसईजेड डेवलपर को की जाने वाली आपूर्ति पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का प्रतिदाय;
iii) विपरीत कर संरचना के कारण संचय पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का प्रतिदाय **(रिफंड)**;

अन्य सभी मामलों में, पंजीकृत व्यक्तियों को, यदि वे शर्त (ख) पूरी न भी होने पर, फिर से पुन: आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

4. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले पंजीकृत व्यक्ति, 'शून्य' रिफंड श्रेणी के तहत पहले से ही दावा किए गए प्रतिदाय (रिफंड) की अपेक्षा 'कोई अन्य' श्रेणी के तहत प्रतिदाय के लिए दावा कर सकता है । हालांकि प्रतिदाय दावा उसी अवधि से संबंधित होना चाहिए जिस अवधि के लिए 'शून्य' के लिए दावा किया गया था। 'कोई अन्य' श्रेणी के तहत किए गए आवेदनों के साथ समर्थक दस्तावेज भी होने चाहिए, जो प्रतिदाय वापसी के दावे के साथ प्रस्तुत किए जाने के समय आवश्यकता होगी।

5. दावा प्राप्त हाने के बाद, उचित अधिकारी लागू नियमों के अनुसार एवं जहां भी लागू हों वहां परिपत्र संख्या 59/33/2018-जीएसटी दिनांक 04.09.2018 के अनुच्छेद 3 में विस्तृत किए गए अनुसार स्वीकार्य प्रतिदाय राशि की गणना करेगा। साथ ही, पूर्णता और योग्यता की दृष्टि से आवेदन के परीक्षण के लिए, यदि उचित अधिकारी इस बात से सहमत हो कि दावा की गई राशि का समग्र अथवा कुछ भाग प्रतिदाय के तौर पर देय है, तब वह आवश्यकता पड़ने पर लिखित रूप में करदाता से यह अनुरोध कर सकता है कि वह उक्त राशि को फार्म जीएसटी डीआरसी 03 के माध्यम से अपने इलेक्ट्रानिक क्रेडिट बही खाते से डेबिट करे। उचित अधिकारी को ऐसे डेबिट का प्रमाण प्राप्त होने पर वह फार्म जीएसटी आरएफडी-06 में प्रतिदाय(रिफंड) आदेश जारी करने के लिए और फार्म जीएसटी आर एफडी -05 में भुगतान करने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

6. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

7. उपरोक्त निर्देशों के कार्यन्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर उसे बोर्ड की नोटिस में लाया जा सकता है।

(योगेन्द्र गर्ग)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)